हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम खोराबीसल, पटवार हल्का क्षेत्र खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 264 रकबा 1.35 हैक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या नया 322 पुराना 304 के अंतर्गत दर्ज इंद्राज के अनुसरण में उक्त खसरा की भूमि में वादीगण का 2/5 हिस्सा निहित है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी अनुसार शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है। वादीगण उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं। चुंकि वाद अधीन कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है इसलिए वादीगण ने समय–समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा पूर्व में तो प्रतिवादीगण बाई मीट्स बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहें परंतु अव चूंकि जयपुर जिला की कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृदि हो चुकी है इसलिए प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द एवं प्लोटिंग कर विक्रय करने पर उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इंच भाग पर सह–हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एवं विधिक रिकॉर्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 14.11.2017 का वाद अधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन हेतु साफ इंकार कर दिया। तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर वह प्लॉट काटकर निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेंगे तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेंगे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है।

वादी ने वादपत्र के साथ जमाबंदी संवत् 2072–2075 ग्राम खोराबीसल, आमेर खसरा नंबर 264 की सत्यप्रतिलिपि पेश की।

न्यायालय सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
आमेर जि. जयपुर

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –149/2017 वाद प्रस्तुति दिनांक –29.11.2017

1. सीताराम पुत्र श्री बोदूराम
2. रामनारायण पुत्र श्री बोदूराम

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

...........वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री बोदूराम
2. हरिनारायण पुत्र श्री बोदूराम (फौत)

2/1. आंची पत्नी हरिनारायण
2/2. नीलम पुत्री हरिनारायण
2/3. प्रियंका पुत्री हरिनारायण
2/4. विकास पुत्र हरिनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता आंची
2/5. संतोष पुत्री हरिनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता आंची
2/6. मोनिका पुत्री हरिनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता आंची

3. नानूराम पुत्र बोदूराम (फौत)

3/1. गीता पत्नी नानूराम
3/2. अंजली पुत्री नानूराम
3/3. अभिजित पुत्र नानूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता गीता
3/4. संदीप पुत्र नानूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता गीता

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

...............प्रतिवादीगण

<u>दावा अंतर्गत धारा – 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

दिनांक 29.08.2024

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम खोराबीसल, पटवार हल्का क्षेत्र खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 264 रकबा 1.35 हैक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या नया 322 पुराना 304 के अंतर्गत दर्ज इंद्राज के अनुसरण में उक्त खसरा की भूमि में वादीगण का 2/5 हिस्सा निहित है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी अनुसार शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है। वादीगण उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं। चुंकि वाद अधीन कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है इसलिए वादीगण ने समय–समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा पूर्व में तो प्रतिवादीगण बाई मीट्स बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहें परंतु अब चूंकि जयपुर जिला की कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृदि हो चुकी है इसलिए प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द एवं प्लोटिंग कर विक्रय करने पर उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इंच भाग पर सह–हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एवं विधिक रिकॉर्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 14.11.2017 का वाद अधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन हेतु साफ इंकार कर दिया। तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर वह प्लॉट काटकर निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेंगे तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेंगे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है।

वादी ने वादपत्र के साथ जमाबंदी संवत् 2072–2075 ग्राम खोराबीसल, आमेर खसरा नंबर 264 की सत्यप्रतिलिपि पेश की।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज ंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2/1 ता 2/6, 3/1 ता 3/4, 4 व 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व दिनांक 07.02.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस सुनकर वाद बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार आमेर को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार आमेर हाल तहसीलदार रामपुरा डाबडी से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी व प्रतिवादीगण को अनेक अवसर दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 को आपत्ति हेतु अनेक अवसर देने के बाद भी आपत्ति पेश नहीं की। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी ने मुताबिक कुर्रेजात वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया। चूंकि कुर्रेजात पर उभयपक्ष की कोई आपत्ति नहीं है। अतः तहसीलदार रामपुरा डाबडी, जयपुर ग्रामीण से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. सीताराम बलाई पुत्र रामनाथ बलाई हि. संपूर्ण जाति बलाई ग्राम नांगल जैसा बोहरा, जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 264/1 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग में दर्शाया गया है।
2. हरिनारायण पुत्र बोदूराम हि. संपूर्ण जाति रैगर, सा. दौलतपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 264/2 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।
3. सीताराम पुत्र बोदूराम हि. संपूर्ण जाति रैगर, सा0 दौलतपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 264/3 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरा रंग में दर्शाया गया है।
4. नानूराम पुत्र बोदूराम हि. संपूर्ण जाति रैगर, सा0 खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 264/4 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में स्लेटी रंग में दर्शाया गया है।
5. रामनारायण पुत्र बोदूराम हि0 संपूर्ण जाति रैगर, सा0 दौलतपुरा, खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 264/5 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग में दर्शाया गया है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी मिथलेश मीणा (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या –149/2017 वाद प्रस्तुति दिनांक –29.11.2017

1. सीताराम पुत्र श्री बोदूराम
2. रामनारायण पुत्र श्री बोदूराम

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

...........वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री बोदूराम
2. हरिनारायण पुत्र श्री बोदूराम (फौत)

2/1. आंची पत्नी हरिनारायण
2/2. नीलम पुत्री हरिनारायण
2/3. प्रियंका पुत्री हरिनारायण
2/4. विकास पुत्र हरिनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता आंची
2/5. संतोष पुत्री हरिनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता आंची
2/6. मोनिका पुत्री हरिनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता आंची

3. नानूराम पुत्र बोदूराम (फौत)

3/1. गीता पत्नी नानूराम
3/2. अंजली पुत्री नानूराम
3/3. अभिजित पुत्र नानूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता गीता
3/4. संदीप पुत्र नानूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता गीता

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

................प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 30.08.2024

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. सीताराम बलाई पुत्र रामनाथ बलाई हि. संपूर्ण जाति बलाई ग्राम नांगल जैसा बोहरा, जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 264/1 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग में दर्शाया गया है।
2. हरिनारायण पुत्र बोदूराम हि. संपूर्ण जाति रैगर, सा. दौलतपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 264/2 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।
3. सीताराम पुत्र बोदूराम हि. संपूर्ण जाति रैगर, सा0 दौलतपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 264/3 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरा रंग में दर्शाया गया है।
4. नानूराम पुत्र बोदूराम हि. संपूर्ण जाति रैगर, सा0 खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 264/4 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में स्लेटी रंग में दर्शाया गया है।
5. रामनारायण पुत्र बोदूराम हि0 संपूर्ण जाति रैगर, सा0 दौलतपुरा, खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 264/5 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग में दर्शाया गया है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 29.08..2024 को जारी किया ।

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बवत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		